पत्र सं0-स्था-3(ग)-ज्येष्ठता सूची-आशुलिपिक संवर्ग-2018-19// 1162 //वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

(स्थापना अराजपत्रित अनुभाग)

लखनऊ :: दिनांक :: 07 दिसम्बर, 2018

समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक)
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

अवगत कराना है कि वाणिज्य कर विभाग में आशुलिपिक संवर्ग में दिनांक 22-11-2011 तक के मौलिक रुप से नियुक्त 554 कार्मिकों की उ0प्र0 सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली-1991 में अंकित प्राविधानान्तर्गत ज्येष्ठता सूची क्रमांक 01 से 554 तक (भाग-1 सूची-क) एवं ज्येष्ठता सूची क्रमांक-01 से 584 (भाग-2 सूची-ख) मुख्यालय के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3766 दिनांक 01-12-2015 के माध्यम से जारी की गयी थी।

दिनांक 01-12-2015 को जारी की गयी उपर्युक्त आशुलिपिक संवर्ग के कार्मिकों की ज्येष्ठता सूची में दिनांक 22-03-2011 तक के मौलिक रुप से नियुक्त कार्मिकों के नाम ही सम्मिलित थे, इस कारण मुख्यालय के पत्र संख्या-1296 दिनांक 06-06-2018 के माध्यम से समस्त सम्भागीय अधिकारियों को दिनांक 01-04-2011 के पश्चात् वाणिज्य कर विभाग में नियमित रुप से नियुक्त आशुलिपिकों तथा उ0प्र0 अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, उ0प्र0 के माध्यम से चयनित आशुलिपिकों का निर्धारित प्रारुप में सेवा विवरण दिनांक 20-06-2018 तक उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये तथा इसकी प्रति विभागीय वेबसाईट पर भी अपलोड करायी गयी। कुछ सम्भागों से सेवा विवरण प्राप्त न होने पर पुनः पत्र संख्या-2082 दिनांक 19-07-2018 प्रेषित किया गया।

उपरोक्तानुसार मुख्यालय के पत्र दिनांक 06-06-2018 एवं पत्र दिनांक 19-07-2018 के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ कार्यालयों से उपलब्ध कराये गये दिनांक 01-04-2011 के पश्चात् तथा उ0प्र0 अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से चयनित नियुक्त 512 आशुलिपिकों की अनन्तिम ज्येष्ठता सूची उ0प्र0 सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली-1991 में अंकित प्राविधानान्तर्गत प्रख्यापित करते हुए सेवा विवरण इस पत्र के साथ संलग्न कर इस आशय से आपत्तियाँ आमन्त्रित की जा रही है कि इस सूची का सम्भाग/ जनपद स्तर पर भली-भाँति परीक्षण करा लिया जाये कि दिनांक 31-12-2016 तक के मौलिक रुप से नियुक्त किसी आशुलिपिक का नाम सम्मिलित करने से रह तो नहीं गया है अथवा यदि किसी कार्मिक के सम्बन्ध में अंकित विवरण त्रुटिपूर्ण दर्शाया गया है तो उसके सम्बन्ध में अभिलेखों से सत्यापित विवरण सम्बन्धित साक्ष्य की प्रमाणित प्रति अथवा सम्बन्धित कर्मचारी से प्राप्त आपत्ति प्रत्येक दशा में 01 माह के अन्दर मुख्यालय को उपलब्ध करा दिया जाये। इसके अतिरिक्त संलग्न सूची में अंकित कोई आशुलिपिक यदि वर्तमान में विभाग में कार्यरत नहीं है तो उसकी सूचना भी मुख्यालय को उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है।

उक्त सूची के क्रमांक-10 से क्रमांक 511 तक के कार्मिक अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से चयनित हुए है जिनके श्रेष्ठता क्रमांक सूची के स्तम्भ-3 में अंकित किया गया है। इसी प्रकार सूची के क्रमांक-1 से क्रमांक-9 तक के कार्मिक मृतक आश्रित के माध्यम से नियुक्त हुए हैं।

अतः इस सम्बन्ध में सम्बन्धित कार्मिकों के सेवाभिलेखों से परीक्षण करते हुए सत्यापन कर लिया जाये कि सूची में अंकित की जा रही सूचना में कोई त्रुटि/ भिन्नता तो नहीं है। सूची में अंकित त्रुटि प्रकाश में आने /रिक्त कालमों को पूर्ण कराये जाने हेतु समुचित साक्ष्यों सहित वांछित [illegible]

समयावधि में वांछित सूचना/ आपत्ति प्राप्त नहीं होती है तथा बाद में कोई त्रुटि प्रकाश में आती है तो इसके लिए सम्बन्धित ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक)/ आहरण वितरण अधिकारी कार्यालय के अधिकारी/ कर्मचारी उत्तरदायी होगें।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार (512 आशुलिपिकों की सूची)।

(सुधा वर्मा)
एडीशनल कमिश्नर (प्रशासन) वाणिज्य कर
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन पत्र संख्या एवं दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

2- ज्वांइट कमिश्नर (आई0टी0) वाणिज्य कर, मुख्यालय को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु।

3- समस्त आहरण वितरण अधिकारी, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार (512 आशुलिपिकों की सूची)।

(वीरेन्द्र नारायण वर्मा)
डिप्टी कमिश्नर (स्था0अराज0) वाणिज्य कर
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।